इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 445] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 अगस्त 2017—श्रावण 20, शक 1939

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2017

क्र. एफ. 3-36-2013-तेरह.--राज्य सरकार, एतद्द्वारा, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 (यथा संशोधित) के विनियम 5 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत्) से ऐसे पर्यवेक्षक क्षमता प्रमाण-पत्र धारकों को, जो विद्युत इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि धारण करते हों और विद्युत संस्थापनों की स्थापना, प्रचालन और रखरखाव में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव रखते हों, चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सुरक्षा इंजीनियर के रूप में आगामी आदेश तक प्राधिकृत करती है :

परन्तु यह है कि ऐसे चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सुरक्षा इंजीनियरों की सूची मध्यप्रदेश विद्युत निरीक्षकालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी:

परन्तु यह भी कि मुख्य विद्युत् निरीक्षण ऐसी अद्यतन सूची के संधारण के लिए अधिकृत एवं उत्तरदायी होंगे.

2. यह अधिसूचना दिनांक 14 अगस्त, 2017 से प्रवृत्त होगी.

No. F. 3-36-2013-XIII.—In exercise of the powers conferred by Regulation 5A of Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010 (as amended), the State Government, hereby authorizes such Supervisory Competency Certificate holders from Madhya Pradesh Licensing Board (Electrical), who are Graduate in Electrical Engineering and have atleast 5 years experience in installation, operation and maintenance of electrical installation as Chartered Electrical Safety Engineer till further orders :

Provided that the list of such Chartered Electrical Safety Engineers shall be displayed at the website of Electrical Inspectorate of Madhya Pradesh:

Provided further that the Chief Electrical Inspector shall be authorized and responsible to maintain such updated list.

2. This notification shall come into force from 14th August, 2017.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव.